सं0सं09/आ0–2–31/2003

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 लीला सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,गोह, औरंगाबाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 1965(2) दिनांक 21.10.2002 द्वारा दिनांक 30.10.1991 से अब तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया किंतु अधिगम से असहमत होते हुए डा0 श्रीमती लीला सिन्हा से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारणपृच्छा की गई। जिसका प्रत्युतर उनके द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत जाने के उपरांत भी नहीं समर्पित किया गया।

विभागीय स्तर पर संपूर्ण मामले की सम्यक समीक्षोपरांत यह देखते हुए कि डा0 (श्रीमती) सिन्हा के विरूद्ध पॉच वर्षो से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित है तथा वे अबतक (लगभग 24 वर्षो से) अनुपस्थित है, उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया तथा इस दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई है।

अतः डा0 (श्रीमती) लीला सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोह, औरंगाबाद को 5 वर्षो तक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा0 लीला सिन्हा एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 1015 (9) /स्वा0, पटना, दिनांकः 03/10/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन गया /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 लीला सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,गोह, औरंगाबाद, पता– P.G. Road जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना के उनके पत्रांक 78 दिनांक 15.04.2006 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx